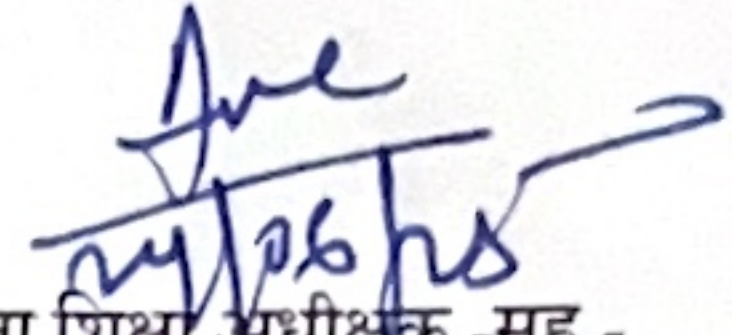


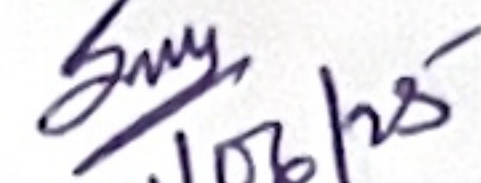
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी,
(RTE CELL) बोकारो

आम सूचना

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के अंतर्गत जिले के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में बहुत ऐसे आवेदनों में जियो टैगिंग निदेश के अनुरूप नहीं पाया गया है। जिन अभिवावकों के द्वारा निदेश के अनुरूप जियो टैगिंग नहीं किया गया है, उन्हें दिनांक 22.06.2025 को अपराहन 05:00 बजे तक जिले के वेबसाइट www.rtecellbokaro.com में अपने आवेदनों में पूर्ण आवास के फोटो के साथ जियो टैगिंग करने हेतु सूचित किया गया था, जिसे विस्तार करते हुए दिनांक 26.06.2025 के अपराहन 05:00 बजे तक किया जाता है। पूर्ण आवासीय फोटो में अभिवावक एवं बच्चा दोनों होना एवं जियो टैगिंग होना अनिवार्य रहेगा। अगर वर्णित कारण से आवेदन अस्वीकार होता है तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं(आवेदनकर्ता) होंगे।


जिला शिक्षा अधीक्षक -सह -

नोडल पदाधिकारी (RTE CELL) बोकारो


24/06/25